संख्या– 665 / III (2)/05–28(बजट)/2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराँचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 07 जून,2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में पुलों के निर्माण एवं सुदृढीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र सं0 527 ए./XXVII (1)/2005 दिनांक 26.4.2005 के क्रम में आपके पत्र संख्या–100/01 बजट(सेतु कार्य–रा.से.)–11/2005–06, दिनांक 06.04.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में पुलों के निर्माण एवं सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु रूपये 1500.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का सी0सी0एल0 के अनुसार त्रैमासिक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा। यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओ पर प्रथमतः 75 प्रतिशत कार्यवार खण्डवार आंबंटन का संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा । जिन खण्डों में 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नही है उन खण्डों में 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायेगें तथा वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर त्रैमासिक रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा ।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय ।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय । कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन कर लिया जायेगा ।

5– उक्त धनराशि का आहरण कैश केडिट सीमान्तर्गत ही नियमानुसार यथाआवश्यकता किया जायेगा।

6– उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा । यह भी सुनिश्चित किया जाय कि नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. 8 व 9 योजना में स्वीकृत समस्त पुलों के अवशेष कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जायें।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायीं होगें ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग करके जनपदवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय 03–राजमार्ग–आयोजनागत–101–पुल–03 पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण –00–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेंगा ।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0– 183 /वित्त अनुभाग–3/05, दिनांक, 09 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–665(1)/ III(2)/05,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल,इलाहाबाद/देहरादून ।
2– सचिव श्री राज्यपाल, सचिवालय, देहरादून।
3– आयुक्त गढवाल/कुमांयू मंडल, पौडी/नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी, उत्तरांचल।
5– मुख्य अभियन्ता , गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोड़ा।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– निजी सचिव, मुख्य मंत्री को मा.मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ हेतु।
8– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

Go- 460

070605003.Pdf